संख्या 11030/78/87-अ०भा०से०(11)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8-11-88

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषयः- चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों को संशोधन - भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली में संशोधन - विकल्प का प्रयोग ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के लिए संशोधित वेतनमान इस विभाग की दिनांक 13 मार्च 1987 की अधिसूचना संख्या 11030/7/87-अ०भा०से०-11 11030/16/87-अ०भा०से०-11 और 11030/17/87-अ०भा०से०-11 द्वारा लागू किए गए थे । अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को इस विभाग के दिनांक 20 मार्च, 1987 के पत्र संख्या 11030/7/87-अ०भा०से०-11 द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे 13 मार्च, 1987 की उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 3 मास के भीतर संशोधित वेतनमानों के लिए अपना विकल्प निर्धारित प्रपत्र में दे दें ।

2. इस प्रश्न पर कि क्या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को संशोधित वेतनमानों के लिए विकल्प देने का एक और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(52)-ई-111/86 द्वारा जारी किए गए आदेशों को मद्देनजर रखते हुए विचार कर लिया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्य, जो अपनी आगामी वेतनवृद्धि अथवा 1.1.1986 के बाद देय होने वाली वेतनवृद्धि, किन्तु 31.12.87 के बाद नहीं, की तारीख से संशोधित वेतनमान लेने के लिए विकल्प देने के इच्छुक हैं, इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि

.......2/-

के भीतर, संलग्न प्रपत्र में, नया {पुनः} विकल्प दे सकते हैं।

3. अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्यों में कार्य कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की जानकारी में ला दी जाए और वेतन के विनियमन के प्रयोजन से उनके विकल्प प्राप्त कर लिए जाएं।

भवदीय,

एन. सान्याल

{एन० सान्याल}

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आई०पी०एस० अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. यू०टी०एस० अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग, नई दिल्ली।

एन. सान्याल

{एन० सान्याल}

उप सचिव, भारत सरकार

-:0:-

विकल्प का फार्म

(कृपया देखें भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 और भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 का नियम 3(1))

(I) मैं.. एतद्द्वारा 1 जनवरी, 1986 से संशोधित वेतनमान लेना चाहता हूं।

(II) मैं.. एतद्द्वारा अपने मूल/स्थानापन्न पद के विद्यमान वेतनमान में, नीचे उल्लिखित अवधि तक, वेतन प्राप्त करना चाहता हूं :

अपनी आगामी वेतनवृद्धि देय होने की तारीख तक।

उस तारीख तक जिसको कि मेरी बाद की वेतनवृद्धि लगने से मेरा वेतन बढ़कर रु.............. हो जाएगा जब तक मैं विद्यमान वेतनमान में वेतन लेना बन्द नहीं कर देता।

विद्यमान वेतन ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

सेवा ....

संवर्ग ....

आबंटन वर्ष ....

पदनाम ....

कार्यालय जिसमें

कार्यरत हैं ....

तारीख :

स्थान :